

1  
 न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

- 1 गोविन्द उरेंव  
 2 महादेव उरेंव

आर० एम० वाद संख्या :- 31/11/22

बनाम सुर्य पातर मुण्डा

धारा 46, छोटानागपूर कास्ताकारी अधिनियम

आवेदक/आवेदिका

1 गोविन्द उरेंव, पिता स्व० माओ उरेंव

2 महादेव उरेंव पिता स्व० जादु उरेंव

ग्राम:-

सुरकुडा

थाना:-

बुण्डू

अनुमण्डल बुण्डू

जिला:-राँची ने आवेदन देकर सूचित किया है कि वे अपनी निम्नलिखित खतियानी जमीन

विपक्षी

सुर्य पातर मुण्डा

पिता/पति

स्व० कार्तिक पातर

ग्राम:-

टांगरथेली बुण्डू

थाना:-

बुण्डू

अनुमण्डल बुण्डू, जिला:-राँची

को विक्रय करना चाहते हैं।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहददी
सुरकुडा	13	23	347	1.15	
			348	0.75	
			355	1.40	
				3.10	

आवेदक ने अनुरोध किया है कि उपरोक्त जमीन छोटानागपूर कास्ताकारी अधिनियम की धारा-46 के तहत विक्रय करने की स्वीकृति दी जाए। आवेदन पंजीकृत करेंगे। अंचल अधिकारी, बुण्डू को विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन मांगे।

अभिलेख दिनांक:- 15/11/22 को उपस्थित करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,

बुण्डू, राँची।

भूमि सुधार उप समाहर्ता

बुण्डू, राँची।



11-5-12

कमिश्नर उल्लेखित। कां.रा.वि. वृत्त  
का वॉच प्रतिवेदन एवं वामिला प्रतिक्रिया प्राप्त।  
विक्रय के बयान हेतु कमिश्नर दिनांक  
10.7.12 को रखें।

11/5/12

10/7-12

कमिश्नर उल्लेखित विक्रय का बयान  
द्वारा किया गया विक्रय का बयान चढ़ कर सुनाया  
गया और तब विक्रय संवृष्ट होने पर कंभूरे  
का मिशान बयान में लिया गया। अथर्व  
श्रीधर की मोग कर कमिश्नर आदेशार्थ  
दिनांक 15/7/12 को रखें।

10/7/12

14/7/12

कमिश्नर उल्लेखित। अथर्व श्रीधर विक्रय  
द्वारा प्रदान किया गया। कमिश्नर कां. रा. वि.  
काधिकारियों 1908 को धारा 46 के तहत कंचल  
काधिकारी वृत्त की वॉच प्रतिवेदन एवं प्राप्त  
कोरिस का वामिला तथा विक्रय के बयान  
के आलोक में अन्तर्जातीय बयान विक्रय  
भूमि विक्रय कर का अनुमति प्रदान की  
जाती है।

14/7/12